

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 06.04.2025

हत्या का अपराध कारित करने वाले 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खोराबार द्वारा गैंग लीडर निजामुद्दीन द्वारा अपने गिरोह के 01 अन्य सदस्य रूबी किन्नर के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानलेवा हमला व हत्या जैसे गम्भीर अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर निजामुद्दीन व गैंग के 01 अन्य सदस्य रूबी किन्नर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/2025 धारा 2(ख)(I)(XI)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अपराध का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2024 को थाना खोराबार क्षेत्रांतर्गत कुशीनगर लखनऊ हाईवे के किनारे ग्राम विनटोलिया के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिला। जिसके शिनाखत हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया जिसका शिनाखत नहीं हो सका। शव को पुलिस कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी। दिनांक 13.11.2024 को उक्त फोटो को पहचान कर मृतका के परिजनों द्वारा की गयी जिसके संबंध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्ता व अभियुक्ता उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 224/2025 धारा 2(ख)(I)(XI)/3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

अभियुक्तगण का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

- निजामुद्दीन पुत्र रोजिद हासमी निवासी कस्बा रामपुर कारखाना थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
 - मु0अ0सं0 657/2024 धारा 103(1),238,61(2) भा0न्या0सं0 व 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर
 - मु0अ0सं0 12/2025 धारा 352, 351(3) भा0न्या0सं0 थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
 - मु0अ0सं0 232/12 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
 - मु0अ0सं0 302/12 धारा 110 जी0 द0प्र0सं0 थाना थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
- रूबी किन्नर पुत्री अब्दुल मोहीद मलिक निवासिनी हिरन्दापुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
 - मु0अ0सं0 657/2024 धारा 103(1),238,61(2) भा0न्या0सं0 व 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
 - मु0अ0सं0 12/2025 धारा 352, 351(3) भा0न्या0सं0 थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया